न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री चतराराम,रूपाराम / चोथूराम साकिन परबतसर

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 22 / 18

निर्णय दिनांक 06 / 09 / 2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परबतसर ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद परबतसर के ख.न. 2750 रकबा 0.64 हेक्टयर भूमि किस्म गै.मु.नाला में अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी का नोटिस अप्रार्थी की पुत्री से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार परबतसर के ख.न.2750 रकबा 0.64 बिघा भूमि किस्म गै.मु.नाला में अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने एवं अतिक्रमित क्षेत्र मे अतिक्रमी द्वारा बोई गई बाजरे की फसल को कुर्क कर निलामी का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही लगान दर 3.00 रूपये प्रति हेक्टयर से अतिक्रमित भूमि 0.64 हेक्टयर भूमि के लगान रूपये 1.92 का 50 गुणा 96.00 / – छियानवें रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। एंव तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे साथ ही भू.अ. निरीक्षक परबतसर को आदेश दिए जाते है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने में पटवारी हल्का का पूर्ण सहयोग कर बेदखली की रिपोर्ट 7 सात दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार परबतसर